# राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान सीताराम बनाम आशाराम

अपील सं0 223/1997

| आदेश दिनांक | आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त | आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 19.09.2022 | अपीलाण्ट के अधिवक्ता उपस्थित अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण विजेन्द्र कुमार व कौशल्या देवी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के स्थान पर बतौर समनुदेशिती प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ अपीलाण्ट सं0 1 द्वारा निष्पादित बेयनामों व अपीलाण्ट सं0 2 द्वारा निष्पादित वसीयतनामा की प्रति प्रस्तुत की।<br>पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।<br>प्रार्थी ने एक अन्य प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया कि एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 2913/2005 जो दिनांक 14.11.2007 को स्वीकार फरमाई गई थी। वह अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा इस रिट याचिका में आगामी पेशी 18.10.2022 नियत है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस रिट याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना है अतः उक्त रिट याचिका के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखी जावे। प्रार्थीगण ने एक अन्य प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त रिट याचिका में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 स्वर्गीय श्री आशाराम के वारीसान ने पक्षकार बनने हेतु आवेदन कर दिया है इस अपील में भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के वारीसान को प्रतिस्थापित किया जावे।<br>सुना गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के वारीसान को इस अपील में रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/4 के रूप मे प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अपील की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। इस न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी दिनांक 18.09.1997 को खारिज हुआ है तथा इस आदेश के विरूद्ध भी माननीय उच्च | |

| | | |
|---|---|---|
| | न्यायालय में रिट याचिका लम्बित है तथा जब तक उक्त रिट याचिका का निर्णय नहीं होता तब तक इस अपील की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है तथा अपीलाण्ट को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अपील के निर्णय अनुसार वे इस अपील में आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इस अपील की कार्यवाही को स्थगित रखते हुए इस प्रक्रम पर दाखिल दफ्तर किया जाता है। ह०अ० 19/9/22<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>हनुमानगढ़ | |